



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 830]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 2009/ज्येष्ठ 2, 1931

No. 830]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 2009/JYAISTHA 2, 1931

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2009

का.आ. 1335(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के रूप में दिनांक 11 जनवरी, 2008 के सं. का.आ. 81(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः केवल दो आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए और केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करती है :

संशोधन :

जोन के-1 में नांगलोई गांव में 3890 वर्गमीटर क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :—

अवस्थिति	क्षेत्र	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जोन के-1 में रोहतक रोड (एनएच-10) पर स्थित नांगलोई गांव	दो पॉकेटों के साथ 3890 वर्गमीटर	(i) रिहायशी (समूह आवास)- 3265 वर्गमीटर (ii) रिहायशी- 625 वर्गमीटर	(i) सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी सुविधाएं (प्रशिक्षण संस्थान) (ii) मनोरंजनात्मक	पूर्व—दिल्ली नगर निगम कार्यालय पश्चिम—किरकारी गांव तक सड़क उत्तर—डीडीए पार्क दक्षिण—रोहतक रोड (एनएच-10)

[फा. सं. के-13011/8/2007-डीडी।बी]

पी. के. सांतारा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2009

S. O. 1335(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 81(E), dated the 11th January, 2008 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said corrigendum.

2. Whereas only two objections/suggestions were received and the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of an area measuring 3890 sq m. in Nangloi Village in Zone K-1 is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nangloi Village located at Rohtak Road (NH- 10) in Zone K-1	3890 sq m. comprising of two pockets	(i) Residential (Group Housing)- 3265 sq m. (ii) Residential 625 sq m.	(i) Public and Semi-Public Facilities (Training Institute) (ii) Recreational	East —MCD Office West —Road to Kirakari Village North —DDA Park South —Rohtak Road (NH-10)

[F. No. K-13011/8/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.